

3/यो0-32/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय:-

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगजन के जीवन स्तर में सुधार एवं पुनर्वास तथा सेवाओं के संवितरण के सुदृढीकरण हेतु क्षमतावर्धन संबंधी योजनाओं के संचालन के लिए रु. 7102.00 लाख (रु. एकहत्तर करोड दो लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग का ज्ञापांक- 5723 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजन के जीवन स्तर में सुधार एवं पुनर्वास तथा सेवाओं के संवितरण के सुदृढीकरण हेतु क्षमतावर्धन संबंधी योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना हेतु वाहय सम्पोषित परियोजना (EAP) की राशि रु. 2640/- लाख (रु. छब्बीस करोड चालीस लाख) एवं अन्य राज्य स्कीम में रु. 858/- लाख (रु. आठ करोड अन्ठावन लाख) यानी कुल रु. 3498.00 लाख (रु. चौतीस करोड अन्ठानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 22 दिनांक 08.04.2019 द्वारा दी गयी थी। पनु: वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 के आलोक में शेष 7102.00 लाख (रु. एकहत्तर करोड दो लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि रु. लाख में)

क्र	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	पूर्व में कुल योजना उदव्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उदव्यय का 67% स्वीकृत राशि
	वाहय सम्पोषित परियोजना (EAP) की राशि					
1	बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (BISPS)	0504-31-06	(51-2235021040504)	8000.00	2640.00	5360.00
योग:-1 (तिरपन करोड साठ लाख)				8000.00	2640.00	5360.00

-2-

राज्य स्कीम						
2	मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	0107-31-06	(51-2235021040107)	1000.00	330.00	670.00
3	वृद्धाश्रम (सहारा)	0106-31-06	(51-2235021010106)	600.10	198.00	402.00
4	वृद्धाश्रम निर्माण योजना		(03-4235021040101)	1000.00	330.00	670.00
योग:-2 (सतरह करोड बैयालीस लाख)				2600.00	858.00	1742.00
कुल (योग 1+2) :- (रु. एकहत्तर करोड दो लाख)				10600.00	3498.00	7102.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोष, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वृद्धाश्रम निर्माण योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 25/टि0 पर दिनांक 05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 25/टि0 पर दिनांक 06.08.2019 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो0-32/2017(खंड)

/.....43...../दिनांक- 07-08-2019

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो0-32/2017(खंड)

/.....43...../दिनांक-

07-08-2019

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)